न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि विजय
आर० ए० एस०

वाद संख्या :- 127/2009.

दुनवान

1. कजोड़मल पुत्र स्व० लच्छूराम (मृतक)
1/1. शिवनारायण
1/2. सत्यनारायण
1/3. राजनारायण
पुत्रान स्व० कजोड़मल समस्त व्यस्कान जाति जाट निवासी शाहपुरा जिला जयपुर।
1/4. सोनीदेवी पुत्री कजोड़मल पत्नि रामेश्वरप्रसाद निवासी शाहपुरा हाल कांटेला
2. सूरजमल पुत्र स्व० भैंरुराम
3. जमना पत्नि स्व० भैंरुराम
व्यस्कान निवासी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

...वादीगण

बनाम

1. काना पुत्र स्व० लच्छूराम (मृतक)
1/1. सुरेन्द्र
1/2. देवेन्द्र
1/3. राजेन्द्र
1/4. रामलाल
पुत्रान स्व० काना
1/5. शरबतीदेवी पत्नि स्व० कानाराम
समस्त व्यस्कान जाति जाट निवासी शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)
1/6. केशर पुत्री स्व० काना पत्नि भैंरुराम व्यस्क जाति जाट निवासी राजपुरवास ताला तहसील आमेर जिला जयपुर (राजस्थान)
1/7. अनिता उर्फ आन्चीदेवी पुत्री काना पत्नि रणधीर निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)
2. रामकुमार पुत्र स्व० नाथा उर्फ नाथूराम व्यस्कान जाति जाट निवासी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

Scanned by CamScanner

127/2009.



निर्णय                                  दिनांक 16/04/2018

1. उपर्युक्त इन्तकाली वाद के निर्णयार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य संक्षेप में यह हैं कि गांव शाहपुरा स्थित सांकिक आराजी खसरा नम्बर 988 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 989 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 61 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 62 रकबा 18 बिस्वा, 63 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 64 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 65 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 91 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 98 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 99 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 103 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 104/ रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 105 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 108/ रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 109 रकबा 5 बिस्वा, 113 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा व 987 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 17 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी लच्छू पुत्र रामू कौम जाट के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, जो संलग्न जमाबन्दी सं० 2008 से 2027 से प्रमाणित है। पूर्व खातेदार लच्छू पुत्र रामू की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियों ने विरासत के आधार पर उक्त आराजीयात की खातेदारी वादीगण के बजाये अकेले नाथा व काना पि० लच्छू कौम जाट के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज करदी। जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसका सजरा निम्न प्रकार है:—

- लच्छू (मृतक)
  - नाथा (मृतक)
    - रामकुवार (प्रति० 2)
  - काना (प्रति० 1)
  - कजोड़मल (वादी 1)
  - भैरूराम (मृतक)
    - जमना (पत्नी वादी नं० 3)
    - सुरजमल (पुत्र वादी नं० 2)

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)

...3

127/2009

2. वादपत्र में प्रस्तुत पारिवारिक शजरा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता - दादा व श्वसुर लच्छू के चार पुत्र थे, जिनमें जाया व भैरूराम फौत हो चुके हैं, जिनके वारिसान में प्रतिवादी संख्या 2 रामकुवार व वादी संख्या 2 व 3 सुरजमल व जमना है। पक्षकारान के बुजुर्ग लच्छू की मृत्यु के बाद आराजी मुतदाविया की खातेदारी उनके चारों पुत्रों के नाम अंकित की जानी चाहिए थी, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलती से दो पुत्र जाया व काना के नाम अंकित करदी जबकि आराजी वादग्रस्त को चारो पुत्र बराबर बराबर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा आज भी अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त हैं। वादपत्र में वर्णित आराजी साबिक खसरा नम्बर 988, 989, 61 से 65, 91, 98, 99, 103, 104, 105, 108, 109, 113 व 987 कुल किता 17 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा शाहपुरा के हाल सैटलमेन्ट में नये नम्बर 81/0.23, 82/0.43, 83/0.44, 84/0.30, 104/0.30, 105/0.35, 85/0.31, 88/0.25, 89/0.23, 103/0.58, 106/0.30, 107/0.31, 108/0.44, 131/0.41, 140/1.56, 141/0.01 व 80/0.30 है० कुल किता 17 रकबा 6.75 है० वाके ग्राम शाहपुरा कायम किये गये हैं, जिसकी जमाबन्दी सं० 2064 से 2067 व मीलान क्षेत्रफल संलग्न वादपत्र है।

3. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजी की खातेदारी दुरुस्ती कराने के सम्बन्ध में वैसे तो कोई विवाद नहीं है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम अंकन नहीं होने से वादीगण राज्य सरकार से मिलने वाले लाभों को नहीं उठा पाते हैं एवं भविष्य में विवाद हो सकता है। इस कारण इन्द्राज दुरुस्त कराना आवश्यक हुआ। इस बाबत वादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से कई बार निवेदन किया, परन्तु उन्होंने इन्द्राज दुरुस्त करने से इन्कार कर दिया, इस कारण दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

4. दावा अन्दर मियाद है तथा निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है, विवादित आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद को सुनने व तय करने का माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है।

....4.

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी

127/2009

अतः दावा स्वीकार कर डिक्री किया जाकर आराजी मुतदाविया का वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा का, वादी संख्या 2 व 3 को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को प्रत्येक को 1/4 व 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराया जावेया अन्य सहायता जो बहक वादीगण उचित हो, दिलवाई जावे।

5. वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिश्ता ली गयी तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गई।

6. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित आये तथा पैरोकार सरकार जरिये पैरोकार सरकार हाजिर अदालत आये।

7. प्रतिवादी संख्या 2 रामकुमार पुत्र स्व० नाथा उर्फ नाथूराम की ओर से दिनांक 1/11/2011 को जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को गलत होना बताकर अस्वीकार कर अभिकथन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 के पिता नाथा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आराजी मुतनाजा पर टीनेन्सी एक्ट लागू होने के समय एवं वरवक्त साबिक सेटलमेन्ट टिनेन्ट की हैसियत से काबिज रहकर काश्त करने के आधार पर दफा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। वादपत्र में वर्णित सजरा खानदान अपूर्ण एवं अस्पष्ट अंकित किया गया है। मृतक व्यक्तियों के बारे में उनकी मृत्यु का कोई साल, संम्वत व तिथि आदि अंकित नहीं की गई है। आराजी वादग्रस्त के किसी भू-भाग पर वादीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा एवं ना ही इनके पूर्वजगन मृतक भैंरूराम व लच्छू का कभी कोई कब्जा रहा। बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 ने करीब 15 वर्षों से पुख्ता मकान बना रखे हैं व अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है, वादीगण का उससे कोई लेना देना नहीं है। वादीगण को कोई वादकारण पैदा नहीं होता है। अदालत हाजा को प्रस्तुत वाद सुनने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

....5

(रवि विजय)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

127/2009

अत: वादीगण प्रतिवादीगण के विरूध्द किसी प्रकार की कोई सहायता या अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है। इसलिए वादीगण का दावा मय हर्जा-खर्चा खारिज लायक है।

8. प्रतिवादी संख्या 13 प्रश्नगत वाद में नियत दिनांक 1/11/2011 को हाजिर अदालत नहीं आये एवं ना ही कोई जवाबदेही की गई, लिहाजा उनके विरूध्द एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नीयत की गयी।

9. तादौराने वाद वादी संख्या एक के फौत होने पर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी०पी०सी० व प्रतिवादी संख्या 1 के फौत होने पर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी०पी०सी० के तहत प्रस्तुत होने पर बाद सुनवाई स्वीकार किये जाकर मृतक पक्षकारान के वारिसान एवं कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिए गये। कायममुकामान की तरमीम जारी करवाई गई।

10. प्रश्नगत प्रकरण में पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 एवं 1/7 तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। प्रस्तुत राजीनामा बाद सुनवाई तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/6 बावजूद रजिस्टर्ड डाक से समन तामील करवाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आई एवं ना ही कोई जवाबदेही की गई। लिहाजा उभयपक्षों की सहमति से बहस सुनी गयी।

11. विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में अपने दावा में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत एवं राजीनामा को इंगित करते हुए वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की।

12. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति एवं उजरात प्रस्तुत नहीं किये गये, अपितु बजरिये राजीनामा वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

13. हमने बहस पर गौर किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा सम्बन्धित विधी प्रावधानों एवं उभयपक्षों द्वारा

(रवि विजय)
उपखण्ड अधिकारी

-6

Scanned by CamScanner

127/2009.

प्रस्तुत किये गये राजीनामा का अवलोकन कर मनन किया।

13. वादीगण की ओर से हस्तगत वाद में मूलतः अपनी पैतृक कृषि भूमि में अपने पूर्वज मरहूम लच्छूराम के फूट स्टेप पर उनके जायज वारिसान एवं कायममुकामान होने की हैसियत से अपने हिस्से की आराजी मुतदाविया में खातेदारी क्लेम की है। वादपत्र में वर्णित सजरा के अनुसार पक्षकारान एक ही कुटुम्ब व परिवार के सदस्य होना प्रकट होते हैं। पत्रावली पर प्रस्तुत नकल राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) ग्राम शाहपुरा सम्वत् 2008 से 2027 की प्रविष्टियों से वादपत्र में वर्णित आराजीयात साबिक खसरा नम्बरान 988, 989, 61 से 65, 91, 98, 99, 103 से 105, 108, 109, 113, 987 कुल किता 17 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा शाहपुरा तिन्हा खातेदारी पक्षकारान के बुजुर्ग लच्छू पुत्र रामू कौम जाट सा० देह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना तथा तत्पश्चात जमाबन्दी सं० 2029 से 20.. तक की प्रविष्टियों से उक्त आराजीयात की खातेदारी ना०क्र० के माध्यम से वादीगण के बजाये अकेले प्रतिवादीगण नाथा व काना पि० लच्छू कौम जाट सा० देह के नाम हस्तान्तरित होना प्रमाणित है। मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी सं० 2064 से 2067 की प्रविष्टियों से उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बरान से बरामद हुए हाल खसरा नम्बरान 81 से 85, 88, 89, 103 से 108, 131, 140, 141 व 80 कुल किता 17 रकबा 6.75 हे० की खातेदारी भी साबिक राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों के अनुसार प्रतिवादीगण नाथा व काना पुत्रान लच्छू तथा काना पुत्र लच्छू साहिन ओ०बी०सी० बैंक शाखा शाहपुरा मुर्तहिन 1/2 कौम जाट सा० देह खातेदार के नाम अंकित होना प्रमाणित है। जबकि प्रतिवादीगण के अतिरिक्त वादीगण भी उक्त आराजी मुतदाविया के अभिलिखित खातेदार मरहूम लच्छू पुत्र रामू के जायज वारिस एवं कायममुकामान होना वादपत्र में वर्णित पारिवारिक सजरा से जाहिर होते हैं। प्रतिवादीगण की ओर से भी इसका न तो खण्डन किया है एवं ना ही पूर्व अभिलिखित खातेदार मृतक लच्छू के वादीगण के जायज वारिसान एवं कायममुकामान होने से इन्कार किया है। इस प्रकार वादीगण भी मृतक लच्छू के

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

·7·

Scanned by CamScanner

27/2009.

वायजा वारिसान एवं कायम मुकामान होना विडित होते हैं, जो विवादित हीं हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि पूर्व खातेदार मृतक लच्छू के वारिसान उसके पुत्रान मृतक नाथा, काना, कजोड़मल व मृतक भैरूराम कुल मिलाकर चार वारिस थे एवं सभी वारिस बहिस्सा बराबर बराबर अर्थात प्रत्येक 1/4 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। इसके बावजूद भी आराजी मुतदाविया का विरासत का इन्तकाल मृतक लच्छू के सभी वारिसान/पक्षकारान के बजाये बिना वायज वारिसान की जाँच पड़ताल कर वादीगण को छोड़कर अकेले प्रतिवादीगण के नाम दर्ज एवं स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में इनका नाम अंकित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी सूरत में जो इन्तकाल भरा गया, वो अपने आप में कानूनन सही नहीं है। कानून की स्थिति के अनुसार पूर्व खातेदार स्व० लच्छू की मृत्यु होने के पश्चात उसके पुत्र व पुत्री बहिस्सा बराबर बराबर वादग्रस्त सम्पत्ति में बतौर वारिस हकदार होते हैं एवं मुताबिक सजरा उसके प्रत्येक पुत्र का 1/4 हिस्सा आता है। वैसे भी नामान्तकरण महज एक फिसकल प्रोसीडिंग्स है, जिससे किसी प्रकार का कोई टाईटल निर्णीत नहीं होता है। यद्यपि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब दावा में धारा-19 टिनेन्सी एक्ट के तहत उनके नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी का इन्द्राज होना तथा वादीगण का उक्त आराजी मुतदाविया से कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं होने का अभिकथन किया गया है। लेकिन अपने उक्त अभिकथनों की पुष्टि में उनकी ओर से कोई रिकार्ड व शाहदत प्रस्तुत नहीं की गई है, बल्कि प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/5 व 1/7 एवं 2 के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। प्रतिवादी संख्या 1/6 बावजूद सूचना एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस तामील करवाने के पश्चात भी न तो हाजिर अदालत आये एवं ना ही कोई आपत्ति एवं उजरात प्रस्तुत किये गये। ऐसी अवस्था में उसकी भी मौन स्वीकारोक्ति ही मानी जावेगी। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत एवं राजीनामा में पक्षकारों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

127/2009.

से वादीगण का वाद बरूबकी साबित होता है, जो डिक्री किये जाने योग्य है।

14. चूँकि पत्रावली पर प्रस्तुत नकल जमाबन्दी हाल की प्रतिलिपियों से आराजी मुतदाविया में स्थित प्रतिवादी संख्या 1 मृतक काना पुत्र लच्छू एवं उसके फुटस्टेप पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/7 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से की खातेदारी की भूमि रहिन को० की० सी० बैंक शाखा शाहपुरा मूर्तहीन दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रमाणीत है तथा उक्त बैंक को प्रश्नगत प्रकरण में न तो आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा न ही उक्त 1/2 हिस्से की भूमि रहनमुक्त होने के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड शहादत प्रस्तुत की गई है। इसलिए रहिन बैंक के हित सुरक्षित रखे जाना हम आवश्यक एवं न्यायोचित समझते है।

15. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का वाद बरूपे राजीनामा डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 80/0.3000, 81/0.2300, 82/0.4300, 83/0.4400, 84/0.3000, 85/0.3100, 88/0.2500, 89/0.2300, 103/0.5800, 104/0.3000, 105/0.3500, 106/0.3000, 107/0.3100, 108/0.4400, 131/0.4100, 140/1.5600, 141/0.0100 कि० कुल किता 17 रकबा 6.75 हे० वाके मौजा शाहपुरा की खातेदारी में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करके उनके स्थान पर वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 को हिस्से 1/4 भाग का, वादीगण संख्या 2 एवं 3 को हिस्सा 1/4 भाग का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/7 को हिस्सा 1/4 भाग का एवं प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहिन हिस्सा 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहिन को० की० सी० बैंक शाखा शाहपुरा के नाम वादीगण के हिस्सा 1/4 भाग की तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/7 के हिस्सा 1/4 भाग की कुल 1/2 हिस्से की भूमि बदस्तूर मूर्तहीन दर्ज राजस्व रिकार्ड रहेगी। तदनुसार डिक्री मुर्तिब होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। हर्जा-खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे।

16. निर्णय आज दिनांक 16/08/2011 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner